न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज

मुकदमा नं. 33/2019 तारीख दायर 26.6.19

सरकार बनाम नरेश पुत्र नथमल जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

:- निर्णय -: दिनांक 18-09-2020

पत्रावली आज पेश हुई। गैरसायल तथा उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नही आया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिंघाना ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कि है कि नरेश पुत्र नथमल जाति महाजन निवासी सिघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज. ने ग्राम सिंघाना स्थित भूमि ख0न0 306 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म ,बारानी-2, ख0न0 307 रकबा 0.16 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से 35 वर्गमीटर भूमि पर दुकान चबूतरा बनाकर अनाधिकृत अतिकमण कर रखा है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का के प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित आया।

अतिकमी की ओर से जबाब नोटिस पेश किया गया जिसमें अतिकमी ने यह कथन किया गया है कि उपरोक्त भूमि ग्राम सिंघाना की आबादी की भूमि है। जिसका ग्राम पंचायत सिंघाना द्वारा दिनांक 05.06.2006 को पटटा जारी किया गया था जिसका पंजीयन दिनांक 21.06.2006 को उप पंजीयक कार्यालय बुहाना द्वारा किया गया है। इस प्रकार उक्त दुकान पटटे सुदा है तथा इनके विरूद्व अतिकमण का रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा विधि विरूद्व की गई है इसके आधार पर धारा 91 एल.आर एक्ट की कार्यवाही नही चल सकती है। यह दुकान आबादी क्षेत्र में बनी हुई थी। गैरसायल की ओर से अपने जबाब में अनाधिकृत अतिकमण से इन्कार किया हैतथा कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया गया।

Scanned with CamScanner

गैर सायल के जबाब नोटिस के उपरान्त उक्त अतिक्रमण की पुष्टि के लिए भू.अ.निरी. तथा पटवारी हल्का सिंघाना से पुनः जांच रिपोर्ट चाही गई। जिसके फलस्वरूप जांच कर्ता कार्मिको ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त राजकीय भूमि का उपयोग वाणिज्यक में लिया जाना बताया गया है। तथा गैर सायल को बेदखल करने की अनुशंसा की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस एवं उसके सलंग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बगौर मनन किया गया। प्रथमतया अतिक्रमी का अतिक्रमण पुनः जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमपी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना साबित पाया जाता है।

लिहाजा अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल नरेश पुत्र नथमल जाति महाजन निवासी सिघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज. को ग्राम सिंघाना के ख0न0 306 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म ,बारानी -2, ख0न0 307 रकबा 0.16 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से 35 वर्गमीटर भूमि पर दुकान चबूतरा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप लगान 0.05 की 50 गुणा जुर्माना राशि 2.50 रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार बुहाना /भू0अ0नि0 सिंघाना/पटवारी हल्का सिघाना को वास्ते जमा कायमी /बेदखली/वसूली की जाकर राशि राजकोष में जमा कराने हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक सिंघाना को राजकीय भूमि से अतिक्रमण भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तरतीव व तकमील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर फैसल शुमार रहे।

निर्णय आज दिनांक 10-9-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपचन्द मीणा)
उप तहसीलदार सिंघाना

Scanned with CamScanner